के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (143). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (143), दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION No. 39 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (143). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "Chhattisgarh GST Act"), on the recommendations of the Council, the Government of Chhattisgarh hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act"), who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the Chhattisgarh GST Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना क्रमांक 40/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (144): — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक नहीं था या कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रिजस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कम्पोजिशन उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सिहत उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा, और तद्नुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अविध वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (144). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (144), दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION No. 40/2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (144). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना क्रमांक 45 / 2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच(145). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
- 2. छत्तीसगढ माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-
 - (i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्निलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :"(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए
 भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण
 अनुदत किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण
 प्रमाणपत्र अनुदत किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने
 सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम
 से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल
 करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय
 करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के